212

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 7185–एक/2016 – विरूद्ध

आदेश दिनॉक 13–07–2016–पारित व्दारा–कलेक्टर आफ

स्टाम्प जिला भिण्ड – प्रकरण क्रमांक 82 सी–132/15–16

देवीशॅकर शुक्ला पुत्र चक्रेश शुक्ला
कस्वा मेहगॉव तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर आफ
स्टाम्प, जिला भिण्ड , मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदक के पैनल लायरश्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 23–12–201 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 82 सी–132/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–07–2016 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक देवीशॅकर शुक्ला पुत्र चक्रेश शुक्ला अनुक्रमांक 1/2004-05 पर स्टाम्प विक्रेता दर्ज है तथा मेहगॉव में स्टाम्प विक्रय हेतु अधिकृत है। आवेदक ने दिनांक 14-7-2016 एंव दिनांक 16-7-15 को चालान जमा करके रू. 5,02,350/- के विक्रय हेतु स्टाम्प प्राप्त किये । दिनांक 16-2-16 तक रू. 1,87,350/- के स्टाम्प विक्रय किये एंव रू. 3,15,000/- के स्टाम्प उसके पास शेष रहे। दिनांक 1-8-15 से 'ई' पंजीयन व्यवस्था लागू होने के कारण दिनांक 20-7-15 से 100/-रू. के स्टाम्प को छोड़कर शेष बड़ी राशि के स्टाम्प का प्रचलन बंद कर दिया गया। आवेदक ने 3,15,000/- रू. के शेष रहे स्टाम्प की राशि वापिस मांगे जाने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक भिण्ड को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 82 सी-132/2015-16 पॅजीबद्व किया तथा आवेदक को सुनकर आदेश दिनांक 13-07-2016 पारित किया एंव आवेदक का आवेदन भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये हैं। अनावेदक के पैनल लायर ने तर्को में बताया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत आवेदक का आवेदन अवधि-वाह्य था जिसके कारण कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक भिण्ड ने ठीक ही निरस्त किया है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक देवीशॅकर शुक्ला ने कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक भिण्ड भिण्ड के समक्ष स्टाम्प के रिफन्ड हेतु जो आवेदन दिया है - इस प्रकार है -

मुद्रांकों का विवरण

क्रमांक	कीमत	सॅख्या	योग
1-	20,000/-	07	1,40,000/-
2-	10,000/-	13	1,30,000/-
3-	5000/-	09	45,000/-
	कुल योग	29	3,15,000/-

यह आवेदन किस दिनॉक को दिया गया, आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला पंजीयक सह-स्टाम्प कलेक्टर भिण्ड के कार्यालय की दिनॉकित पावती नहीं है और न जिला पंजीयक ने इस मौसूदा डाला है। जिला पंजीयक सह-स्टाम्प कलेक्टर भिण्ड के कार्यालय की प्रथम आर्डरशीट 5-3-16 को लिखी गई है जिस पर आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक 19-2-16 लिखा गया है किन्तु 19-2-16 आवेदन पर अंकित नहीं है। अतएव जिला पंजीयक सह-स्टाम्प कलेक्टर भिण्ड व्दारा की गई कार्यवाही आरंभ से ही संदेहास्पद प्रतीत होती है। प्रकरण में विचार यह करना है कि क्या आवेदक रू 3,15,000/- के स्टाम्प का रिफन्ड पाने का पात्र है अथवा नहीं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 49 में व्यवस्था दी गई है कि खराव एंव निष्प्रयोज्य हुये स्टाम्प की राशि वापिस की जा

सकती है स्पष्ट है कि आवेदक भी निष्प्रयोज्य स्टाम्प रू. 3,15,000/- का रिफन्ड पाने का पात्र है किन्तु धारा 50 की आड़ लेकर जिला पंजीयक सह-स्टाम्प कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनॉक 13-07-2016 से आवेदक का आवेदन निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण जिला पंजीयक सह-स्टाम्प कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनॉक 13-07-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 82 सी-132/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर